संख्या 1065/18(2)/2008–523/06

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 23 सितम्बर, 2008

विषयः– मातृ ऑचल संस्कार केन्द्र (बालिका छात्रावास) जनपद हरिद्वार को कुल 0.410 है0 भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 9–06–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1, दिनांक9–05–1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक 12–09–1997 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ग्राम जगजीतपुर, तहसील हरिद्वार जनपद हरिद्वार में खसरा संख्या–638/1म0 में क्षेत्रफल 0.410 है0 भूमि मातृ ऑचल संस्कार केन्द्र/(बालिका छात्रावास) को भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दो गुने के अनुसार नजराना एवं नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया जमा कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित किये जाने के सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03(तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसें नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

.....2

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि समिति का विघटन हो गया हो तो भूमि/भवन सिल सहित राज्य सरकार में सभा भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या 1 से 5 मे किसी भी शर्त का उलंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल,)
प्रमुख सचिव,

पृ0प0सं0– /सम्दिनांकित/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मंण्डल पौड़ी।
3– प्रबंन्धक मातृ ऑचल संस्कार केन्द्र 60 हरिधाम, हिल वाईपास रोड़ खडखडी हरिद्वार।
4– निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।